न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः— हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:—86/2017 दायर दिनांक 20.07.2017

जीसीएमएस आई0डी0:—2017/00188

1. राधेश्याम पुत्र जिम्भू
2. लाखनसिंह पुत्र भजन
3. सतीश पुत्र हरसहाय
4. देवीसिंह पुत्र मंगल
5. सुगरसिंह पुत्र छोटे

जाति मीना निवासी सूरौठ
तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

——सायलान—05

बनाम

1. केदार उम्र 35 साल
2. हरीमोहन उम्र 30 साल
3. ओमप्रकाश उम्र 43 साल
4. दिलीपसिंह उम्र 42 साल

पिसरान रंगलाल जाति मीना
निवासी ग्राम सूरोठ जिला करौली

——गैरसायलान—04

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः—1. श्री अशोक नीमनका वकील सायलान
2. श्री सीताराम गुर्जर गैरसायलान

निर्णय दिनांकः—

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायल द्वारा जरिये वकील दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजी खसरा न0 1394 रकबा 26 ऐयर, 1491 रकबा 50 ऐयर, 1492 रकबा 19 ऐयर, 1493 रकबा 41 ऐयर, 1495 रकबा 89 ऐयर, 1496 रकबा 34 ऐयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.59 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन में सायलान व उसके परिवार सहखातेदारान को टीनेन्स आराजीयात है। जो उन्हे विरासत में उनके बुजुर्गान से प्राप्त हुई है।

आराजीयात विवादग्रस्त वर्णित मद न0 2 प्रार्थना पत्र को सायलान व उनका परिवार जमाने बुजुर्गान से 50 सो साल से साल दर साल व फसल दर फसल काश्त करता चला आ रहा है। और वह क्रम आज भी बदस्तुर है।

गैरसायलान का गांव में आदमी वाले व पैसा वाले होने के कारण दबदबा है, और गैरसायलान के परिवार से कुछ लोग दादागिरी कर गरीब लोगो की जमीन जायदाद को हडपने में सिद्धहस्त हो गये इसलिये दुर्भागवश सायलान की आराजी की दृष्टि पड गयी है। और वे येन केन प्रकारेन सायलान व उनके परिवार

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:16:38 IST
Reason: SelfAttested

से उक्त खसरा न0 की जमीन को हडपने के बल पर हडपने का मानस बनाकर गैरसायलान द्वारा सायलान व उनके परिवार को हैरानव परेशान करना प्रारंभ कर दिया है। इसलिये मजबूरन सायलान को अदालत की धारण में आना पड रहा है।

वाका दिनांक 11.07.2017 को सुबह करीब 9 बजे का है, कि सायलान अपनी आराजी खसरान0 1495 रकबा 89 ऐयर स्थित ग्राम सूरौठ में खडी फसल सायलान बाजरा, मसीना की निदाई कर रहे थे कि गैरसायलान एक हजूम बनाकर घातक हथियारों से लैस होकर सायलान के खेत पर आ धमके और कहने लगे कि यह खेत हमारी जमीनो के पास है। इसे राजीबाजी हमे दे दो। तुम्हारे बाबा ने इस खेत को हम देने का वायदा किया था। इसलिये उस समय तो हम नहीं ले सके। मगर हम तुम्हे कुछ पैसा देने को तैयार है। इसलिये राजी बाजी बिना किसी खून खराबे के हमारे रजिस्ट्री करवा दो, अन्यथा हमे जमीन लेना आता है। डण्डे के बल पर लेगे। इस पर सायलान ने गांव व समाज के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एकत्रित कर गैरसायलान को समझाने व समझाने का प्रयास किया। मगर गैरसायलान किसी की एक मानने को तैयार नहीं है। और उन्होने ऐलानिया तोर पर कहा है कि खेत को तो हम लेकर ही रहेगे। चाहे कुछ भी करना पडे।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर का अर्ज है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजी खसरा न0 1495 रकबा 89 ऐयर स्थित ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0 के कब्जे काश्त सायलान में कोई मजाहमत मदाखलत नहीं करे। जमीन पर स्वयं कब्जा नहीं करे। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे। जिससे हकूक सायलान पर प्रतिकुल प्रभाव पडे। जमीन को खुर्दबुर्द नहीं करे। कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित नहीं करे। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान की ओर से श्री सीताराम गुर्जर द्वारा बकालतनामा व जबाब पेश किया गया जो निम्नानुसार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:16:38 IST
Reason: SelfAttested

1. मद नं. 1 प्रार्थनापत्र में सायलान की ओर से निराधार तथ्यों पर वाद पेश करना मात्र स्वीकार है परन्तु उनके साधन को सफलता मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है।

2. मद नम्बर 2 प्रार्थनापत्र जिस प्रकार से बयान किया गया है गलत है और स्वीकार नहीं है। इस मद में वर्णित आराजीयात सायलान व उनके परिवारजन की सहखातेदारी की नहीं है और ना ही सायलान व उनके परिवारजन को उक्त भूमि उनके बुजुर्गान से विरासत में प्राप्त हुई है।

3. मद नं. 3 प्रार्थनापत्र गलत है और स्वीकार नहीं है। सायलान का यह कथन कतई गलत है कि भूमि वर्णित मद नं. 1 प्रार्थनापत्र को सायलान व उनके परिवारजन बजमाने बुजुर्गान साल दर साल फसल दर फसल काश्त करते चले आ रहे हों। एवं सायलान का यह कथन भी गलत है कि यह क्रम बदस्तूर हो। बल्कि सही बात यह है कि विवादित भूमि गैरसायलान को अपने बुजुर्गान से विरासत में प्राप्त हुई है कि जिस पर गैरसायलान बअदाये लगान काबिज काश्त हैं।

4. मद नं. 4 प्रार्थनापत्र गलत है और स्वीकार नहीं है। गैरसायलान आदमी गाले व पैसे वाले व्यक्ति नहीं है और ना ही उनका गांव में दबदबा है। सायलान का यह कथन कतई गलत है कि गैरसायलान के परिवार के कुछ लोग दादागिरी कर गरीब लोगों की जायदाद हड़पने में सिद्धहस्त हो। सायलान का यह कथन भी गलत है कि गैरसायलान ने डण्डे के बल पर हर प्रकार से सायलान की किसी भूमि पर कब्जा करने की नीयत से गलत मानस बनाकर सायलान को हैरान परेशान करना प्रारम्भ कर दिया हो। सायलान ने निर्धन, निर्बल व गरीब गैरसायलान पर कतई गलत एवं बनावटी लांच्छन लगाकर प्रार्थनापत्र दायर किया है कि जो किसी भी प्रकार से मेन्टीनेबिल नहीं है।

5. मद नं. 5 प्रार्थनापत्र गलत है और स्वीकार नहीं है। दिनांक 11.07.2017 को या किसी भी दिन, किसी भी समय सायलान व गैरसायलान के मध्य इस मद में वर्णित कोई वातावरण/वार्तालाप नही हुआ है और ना ही गैरसायलान ने किसी भी उद्देश्य या कार्यवाही के लिए सायलान को किसी भी प्रकार की कोई एलानियां धमकी दी है। विवादित भूमि पर सायलान का कभी कोई कब्जा काश्त किसी भी भांति नहीं रहा है और ना ही है। सायलान ने इस मद में फसल बाजरा व मैथीना की उक्त दिनांक को निराई करना गलत अंकित किया है। जब सायलान द्वारा विवादित भूमि में कोई फसल बोई ही नहीं गई तो निराई करने का कथन निरर्थक है। सायलान ने इस मद में समस्त कथन कतई गलत व बनावट महज प्रार्थनापत्र दायर करने के लिए बयान

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:16:38 IST
Reason: attested

किये है कि जो गैरसायलान को स्वीकार नहीं है। सायलान को कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं पहुंच रही है. ना ही पहुंचने की संभावना है। सायलान ने बिना किसी अधिकार व औचित्य के महज गैरसायलान को तंग व परेशान करने के आशय से बनावटी तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र दायर किया है कि जो खारिज होने योग्य है।

6. मद नं. 6 प्रार्थनापत्र गलत है और स्वीकार नहीं है। सायलान को कोई क्षति नहीं है जबकि मिन गैरसायलान को पाबंद किये जाने से उन्हें बमुकाबले सायलान अत्यधिक क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी द्रव्य से संभव नहीं है।

7. मद नं. 7 प्रार्थनापत्र गलत है और स्वीकार नहीं है। प्राइमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में साबित न होकर मिन गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

सायलान ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि के खातेदारान लखनबाई, महेन्द्र सिंह, समन्दर सिंह, शीला, कंचनबाई, रेशमा, गोपाली, शान्ति, जीतू, ज्वानसिंह, अनीता, सुनीता, केशन्ती, ललिता, ममता, रामपति, रामोली, रामनिरी, रामजीलाल, रूपसिंह, श्रीमती कडी. रूकमणी, विनोद, गुड्डो आदि को प्रकरण हाजा में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। प्रार्थनापत्र हाजा में नोन जॉइन्डर आफ पार्टीज का नुग्ज होने के कारण प्रार्थनापत्र सायलान कानूनन मेन्टीनेबिल नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। विवादित भूमि वर्णित मद नं. 2 प्रार्थनापत्र गैरसायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है कि जो उन्हें अपने बुजुर्गान से विरासत में प्राप्त हुई है। गैरसायलान को प्रकरण के नोटिस मिलने पर गैरसायलान ने सायलान से सम्पर्क कर निवेदन किया कि भाईयों तुमने गलत एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर हमें बर्बाद करने के लिए दावा क्यों पेश किया है. आप लोग तो यह अच्छी तरह जानते हो कि विवादित भूमि पर हमारा बजमाने बुजुर्गान से ही कब्जा काश्त है और उक्त भूमि हमें हमारे बुजुर्गान से विरासत में प्राप्त हुई है। इस पर सायल नं. 2 लाखनसिंह ने दिनांक 09.09.17 को व सायल नं. 4 देवीसिंह ने दिनांक 23.09.2017 को 50–50 रूपये के स्टाम्प व एक–एक सादा पेपर पर शपथ–[illegible] कराकर अपने हस्ताक्षर कर नोटेरी पब्लिक श्री दिलीप सिंह [illegible] इस आशय के कथन दर्ज कराये हैं कि विवादित भूमि से हम सायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:16:38 IST
Reason: SelfAttested

नही है और ना ही कभी रहा है, उक्त भूमि पर पहले गैरसायलान के पिता रंगूलाल उर्फ रंगलाल का ही कब्जा काश्त था, उक्त भूमि रंगूलाल उर्फ रंगलाल को अपने पिता से विरासत में मिली है, रंगलाल की मृत्यु के बाद गैरसायलान केदार वगै. का ही कब्जा काश्त है, राधेश्याम ने लालच के वशीभूत होकर बदनियती से गलत तथ्यों के आधार पर दावा दायर किया है. मुकदमा के लिए हमारी कोई सहमति नहीं ली और ना ही हमने किसी दावे पर दस्तखत किये हैं। सायल नं. ३ सतीश ने अपने हिस्सों की भूमि को पूर्व में ही लखनबाई को बेचकर उसका कब्जा करा दिया है। दावा वादीगण / सायलान दो प्रतियों में प्रत्येक पेज पर समस्त वादीगण / सायलान द्वारा हस्ताक्षर कर विधि अनुसार सत्यापित कर शपथ–पत्र के साथ पेश नहीं किया गया है, इसलिए दावा व प्रार्थना – पत्र टी.आई. सायलान आदेश–7 नियम–11 जा.दी. के तहत काबिल रिजेक्शन है। विवादित भूमि पर सायलान का कब्जा काश्त नहीं है। कब्जे के अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी के लिए प्रार्थनापत्र टीआई सायलान कानूनन मेन्टीनेबिल नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है। सायलान स्वच्छ हस्त व स्वच्छ मन से श्रीमान् न्यायालय में नही आये हैं, इसलिए सायलान श्रीमान् न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। जवाब प्रार्थनापत्र टी.आई. प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र टी.आई. सायलान खारिज फरमाया जाकर गैरसायलान को सायलान से हर्जा खास दिलाया जावे।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए फोटोकॉपी नक्शा ट्रैस, नकल जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 775 वाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ पेश किये गये।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील सायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि सायलान की कब्जे काश्त व खातेदारी की गैरसायलान आराजी खसरा न0 1495 रकबा 89 ऐयर स्थित ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0 के कब्जे काश्त सायलान में कोई मजाहमत मदाखलत नहीं करे। जमीन पर [illegible] नहीं करे। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे जिससे [illegible] सायलान पर प्रतिकुल प्रभाव पडे। जमीन को खुर्दबुर्द नहीं करे। कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित नहीं करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:16:38 IST
Reason: SelfAttested

रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने का निवेदन किया। वकील गैरसायलान ने अपने बहरा कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि सायलान ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि के खातेदारान लखनबाई, महेन्द्र सिंह, समन्दर सिंह, शीला, कंचनबाई, रेशमा, गोपाली, शान्ति, जीतू, ज्वानसिंह, अनीता, सुनीता, केशन्ती, ललिता, ममता, रामपति, रामोली, रामनिरी, रामजीलाल, रूपसिंह, श्रीमती कडी. रुकमणी, विनोद, गुड्डो आदि को प्रकरण हाजा में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। प्रार्थनापत्र हाजा में नोन जॉइन्डर आफ पार्टीज का नुग्ज होने के कारण प्रार्थनापत्र सायलान कानूनन मेन्टीनेबिल नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। विवादित भूमि वर्णित मद नं. 2 प्रार्थनापत्र गैरसायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है कि जो उन्हें अपने बुजुर्गान से विरासत में प्राप्त हुई है। गैरसायलान को प्रकरण के नोटिस मिलने पर गैरसायलान ने सायलान से सम्पर्क कर निवेदन किया कि भाईयों तुमने गलत एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर हमें बर्बाद करने के लिए दावा क्यों पेश किया है. आप लोग तो यह अच्छी तरह जानते हो कि विवादित भूमि पर हमारा बजमाने बुजुर्गान से ही कब्जा काश्त है और उक्त भूमि हमें हमारे बुजुर्गान से विरासत में प्राप्त हुई है। इस पर सायल नं. 2 लाखनसिंह ने दिनांक 09.09.17 को व सायल नं. 4 देवीसिंह ने दिनांक 23.09.2017 को 50–50 रूपये के स्टाम्प व एक–एक सादा पेपर पर शपथ–पत्र तहरीर व तकमील कराकर अपने हस्ताक्षर कर नोटेरी पब्लिक श्री दिलीप सिंह कुशवाह से तस्दीक कराकर इस आशय के कथन दर्ज कराये हैं कि विवादित भूमि से हम सायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है और ना ही कभी रहा है, उक्त भूमि पर पहले गैरसायलान के पिता रंगूलाल उर्फ रंगलाल का ही कब्जा काश्त था, उक्त भूमि रंगूलाल उर्फ रंगलाल को अपने पिता से विरासत में मिली है, रंगलाल की मृत्यु के बाद गैरसायलान केदार वगै. का ही कब्जा काश्त है, राधेश्याम ने लालच के वशीभूत होकर बदनियती से गलत तथ्यों के आधार पर दावा दायर किया है. मुकदमा के लिए हमारी कोई सहमति नहीं ली और ना ही हमने किसी दावे पर दस्तखत किये हैं। सायल नं. 3 सतीश ने अपने हिस्सों की भूमि को पूर्व में ही लखनबाई को बेचकर उसका कब्जा करा दिया है। दावा वादीगण / सायलान दो प्रतियों में प्रत्येक पेज पर समस्त वादीगण / सायलान द्वारा हस्ताक्षर व विधि अनुसार सत्यापित कर शपथ–पत्र के साथ पेश नहीं किया है, दावा व प्रार्थना – पत्र टी.आई. सायलान आदेश–7 नियम–11 जा.दी. के तहत काबिल रिजेक्शन है। विवादित भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:16:38 IST
Reason: SeEAttested

पर सायलान का कब्जा काश्त नहीं है। कब्जे के अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी के लिए प्रार्थनापत्र टीआई सायलान कानूनन मेन्टीनेबिल नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है। सायलान स्वच्छ हस्त व स्वच्छ मन से श्रीमान् न्यायालय में नही आये हैं, इसलिए सायलान श्रीमान् न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। जवाब प्रार्थनापत्र टी.आई. प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र टी. आई. सायलान खारिज फरमाया जाकर गैरसायलान को सायलान से हर्जा खास दिलाया जाये।

हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फोटोकॉपी नक्शा ट्रैस, नकल जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 775 वाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन बाल तहसील सूरौठ के सायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। सायलान द्वारा अपने वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में गैरसायलान द्वारा विवादित आराजीयात पर कब्जे काश्त बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे सायलान अपने वाद पत्र के तथ्यो के संबध में वाद में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक बहस में साबित करने में असफल रहा है। प्रकरण में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान अस्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 30/5/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:16:38 IST
Reason: SelfAttested